राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9931 दिनांकः 03.10.2026

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव राजस्थान सरकार।

विषयः–पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 – सरकारी वेबसाइट/सरकारी भवनों/विज्ञापनों पर फोटो एवं संदेश प्रदर्शन के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 हेतु कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा दिनांक 03.10.2026 के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है।

आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही तत्काल प्रभाव से समस्त सरकारी वेबसाइट से जनप्रतिनिधियों, राजनेताओ/राजनैतिक दल के फोटो एवं बैनर आदि को हटाना सुनिश्चित करावें। साथ ही यह भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे कि राजकोष या लोक निधि से व्यय करके समाचार पत्रों अथवा मीडिया माध्यमों पर कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

संलग्नः– 1. चुनाव कार्यक्रम एवं चरणवार पंचायत समितियों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका।

भवदीय

3/10/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9932–37 दिनांकः 03.10.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर), राजस्थान।
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

उप सचिव